प्ररुप 21 ग

(नियम 64 देखें)

साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लड़ा गया है) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा—

राजस्थान राज्य में विधानसभा क्षेत्र 14-बीकानेर पूर्व का निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करती हूँ कि सुश्री सिद्धी कुमारी, शिव विलास, लालगढ पैलेस, बीकानेर, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान— बीकानेर **तारीख** —11.12.2018

Mondy

(मोनिका बलारा)

रिटर्निंग अधिकारी, 14— बीकानेर पूर्व उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बीकानेर (मोनिका बलारा)

रिटर्निंग ऑफिसर 14-बीकानेर पूर्व, उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बीकानेर

(Statutory Rules and Order) FORM 21 C

(See Rules 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act. 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from 14- Bikaner East Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Ms. Siddhi Kumari, Shiv Vilas, Lalgarh Palace, Bikaner sponsored by Bharatiya Janata Party has been elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – Bikaner
Date – 11-12-2018

(Namila Balan

(Monika Balara)

Returning Officer, 14 Bikaner East (Sub-Divisional Officer & Sub-Divisional Magistrate, Bikaner)

(मोनिका बलारा) रिटर्निंग ऑफिसर 14-बीकानेर पूर्व, उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बीकानेर